

**न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी— श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 188/2017

बउनवान

अरविन्द पुत्र ईश्वरीया आयु 32 वर्ष जाति—मीणा निवासी लिसाडिया  
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :—1. श्री वृजमोहन गोयल, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)



**निर्णय दिनांक— 30.01.2019**

1— अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 02.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—लिसाडिया, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 3, 5 कुल रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 200/— रुपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सही प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना ही उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपील उचित शुल्क व जानकारी से अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस की

2  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)


प्रोपर तामील नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जाँच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है। अपीलांट के विरुद्ध वर्तमान में कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 528/12 निर्णय दिनांक 10.04.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की प्रोपर तामील हुयी है, इसके बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 528/12 निर्णय दिनांक 10.04.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 368/16 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(इन्द्र सिंह राव)  
जिला कलक्टर, बारां  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)